सामुदायिक विकास की ओर बढ़ते कदम

स्वच्छता व सुरक्षा लोगों की प्राकृतिक जरूरत होने के साथ–साथ नागरिकों का बुनियादी हक़ भी हैं। प्रशासन की यह ज़िम्मेदारी है कि वे नागरिकों को सार्वजनिक सुविधायें उपलब्ध कराएं।

2004 से **जागोरी, मदनपुर खादर** (पुनर्वास कॉलोनी) के निवासियों की रोजमर्रा की ज़िन्दगी को मानव अधिकारों व नागरिक अधिकारों के व्यापक दायरे में देख रही हैं। मदनपुर खादर की महिलाएं इस दिशा में साझी अगुवाई कर रही हैं। समुदाय में सबसे ज्यादा समय महिलाएं और बच्चे गुजारते हैं। महिलाओं में बढ़ते स्त्री रोग व संक्रमित बीमारियों की बढ़ती संख्या बुनियादी सुविधाओं की कमी पर ध्यान आकर्षित करती है । स्वास्थ्य और स्वच्छता की सही व्यवस्था न होना नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन हैं।

सफाई से जुड़ी कुछ गम्भीर समस्याएं

सुविधाओं का न होना – सामुदायिक शौचालय की बात करें तो

खादर में कुल 20 शौचालयों में से एक भी शौचालय इस्तेमाल करने लायक़ नहीं हैं। किसी की सीटें धंसी है तो किसी के दरवाजे टूटे है। पानी व सफाई न होने के कारण कीड़े–मकौड़े व मच्छर इतने ज्यादा कि बीमारियों को खुली दावत।

सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक ताला लगा हुआ होता हैं। अगर इस बीच शौचालय में जाने की जरूरत हुई तो इंसान क्या करे?

गली और सड़क का सही न होना व बारिश में और बुरा हाल हो जाना, सीवर लाईन का न होना जिसके कारण खुली नालियों पर शौच करने की मजबूरी। कूड़ा उठाने का सही इंतजाम न होना – नागरिक अधिकारों के हनन का जीता जागता सुबूत हैं।

हिंसा का माहौल

एक व्यक्ति के कम से कम महिनें में 60 रू यानी पूरे परिवार (लगभग 6 सदस्य) के 360 रू प्रति महीना लगता हैं। बेरोज़गारी व कमज़ोर आर्थिक स्थिति महिलाओं को खुले में शौच करने पर मजबूर करती हैं जिसके कारण उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ता हैं। शौचालयों के आसपास लोंगो का जमघट लगा रहना, दीवारें छोटी होने के कारण लड़के ताक–झांक करते हैं जिससे महिला व लड़कियों के लिए असुरक्षा का माहौल बना रहता है।

दस साल तक के बच्चों को शौचालय में घुसने नहीं दिया जाता और भगा दिया जाता हैं। इन हालात में बच्चें (खासतौर से लड़कियॉ) कहॉ जा सकती हैं ?

सामुदायिक अगुवाई

नागरिकों के लिए स्वच्छता से जुड़ी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में प्रशासन की अहम् भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संदर्भ में बात करने के लिए **नागरिक हक़ समिति व जागोरी** एक **जन सुनवाई** का आयोजन कर रही हैं इसमें :

- **दिल्ली नगर निगम व पुलिस अधिकारियों** के साथ–साथ इलाक़े के **विधायक व सामाजिक कार्यकर्ताओं** को आमंत्रित किया है ताकि इन स्थितिओं की ओर उनका ध्यान दिलाया जा सके।
- **खादरवासी** अपनी बात अधिकारियों के सामने रख पायें और समाधान के बारे में खास रणनीति बना सकें।

आईए – इस जन सुनवाई मे भाग लीजिए

दिनांक 20 जून 2008
समयः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक
स्थानः डी ब्लॉक, तिकोना पार्क, शनि बाजार के पास
जे.जे.कालोनी, मदनपुर खादर

यह है हम सबका नारा
जन सुविधा पर हक़ हो हमारा

जागोरी JAGORI

सम्पर्क करें : जागोरी, बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017, फोन न.: 26691291, 26691220, www.jagori.org